ऋषिकेश स्टेशनों के बीच तथा पूर्वोत्तर रेलवे के मुरादाबाद और रामनगर स्टेशनों के बीच रेल की पटरियां कब बिछायी गयी थीं ;

(ख) क्या कभी उन पटरियो को बदला भी गया है ;

(ग) क्या उन पटरियों का जीवन समाप्त हो चुका है ;

(घ) क्या यह सच है कि इसी कारण से उन पटरियो पर चलने वाली रेल गाड़ियो की चाल नही बढाई जा सकती और रात्रि के समय वहां गाडिया नही चलाई जा सकती हैं , और

(ङ) उपरोक्त स्थिति मे सुधार करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी): (क) उत्तर रेलवे के नजीबाबाद-कोटद्वारा सेक्शन (१५ मील) और रायवाला-ऋषिकेश सेक्शन (७ मील) यातायात के लिये क्रमश. १८९६ और १९२७ मे खोले गये। पूर्वोत्तर रेलवे का मुरादाबाद-रामनगर सेक्शन (४७.७५ मील) यातायात के लिये १९०७—०८ मे खोला गया ।

(ख) जी नही ।

(ग) जी नही । सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे के मुरादाबाद-रामनगर सेक्शन की ४१।१।४ पौंड की पटरियो और फिशप्लेटो की मियाद खत्म हो चुकी है ।

(घ) उत्तर रेलवे के नजीबाबाद-कोटद्वारा और रायवाला-ऋषिकेश सेक्शनो पर जितना यातायात होता है, उसे देखते हुए इन सेक्शनो पर गाड़ियो की रफ्तार बढ़ाने या रात के समय गाडी चलाने की जरूरत नहीं जान पड़ती । मुरादाबाद-रामनगर सेक्शन पर गाड़ियो की रफ्तार बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि इसकी पटरियों और फिशप्लेटों से बहुत अधिक काम लिया जा चुका है ।

(ङ) उत्तर रेलवे के नजीबाबाद-कोटद्वारा और रायवाला-ऋषिकेश सेक्शनों पर लाइन की 'रिलेयिंग' करने का इस समय विचार नही है । लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के मुरादाबाद-रामनगर सेक्शन पर चालू वित्तीय वर्ष में अधिक वजनी पटरियां बिछाने की मंजूरी दे दी गई है ।

डाक तथा तार विभाग में विभागातिरिक्त कर्मचारियों सम्बन्धी समिति

१०५८. { श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री संगंणम् :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न सख्या ३५०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की विभागातिरिक्त प्रणाली की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अब तक उस समिति ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ; और

(ङ) समिति की रिपोर्ट देर से देर कब तक मिल जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात इस पर विचार किया जायेगा ।

(घ) और (ङ) यह रिपोर्ट तैयारी की अन्तिम अवस्था में है और सितम्बर, १९५८ के आरम्भ में सरकार को इसके भेजे जाने की सम्भावना है ।

Inter-State Goods Traffic

1059. Sardar Iqbal Singh: Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state

(a) whether there is an increase in the Inter-State goods traffic by road between Delhi-Punjab and Delhi-Uttar Pradesh;

(b) if so, to what extent, and

(c) the steps taken by Government to cope with it?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) Yes.

(b) The increase in traffic is reported to be about 100 per cent.

(c) The number of public carrier permits on the Inter-State routes has been increased as follows:—

	In October 1957	Present
Delhi-Punjab	600	1650
Delhi Uttar Pradesh	582	992

Vegetable Ghee

1060. Sardar Iqbal Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the total vegetable ghee consumed in each State during the last five years, State-wise?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): The consumption of Vanaspati, State-wise, during the last five years was as follows:—

(Figures in thousand tons)

Serial No	Name of State	Prior to re-organisation of States				After re-organisation of States	
		1953	1954	1955	1956 (upto October)	1956 November-December	1957
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andhra Pradesh	0 08	0 89	0 62	1 54	0 69	3·74
2	Assam	3 49	5 00	6 62	6 11	0 79	8 36
3	Bihar	12 06	14 57	16 71	13 94	2 82	21 26
4	Bombay	30 22	36·65	37 32	29 94	8 05	49 99
5	Kerala					0 14	0 73
6	Madhya Pradesh	7 48	8 46	8 90	6 49	2 24	16 30
7	Madras	7 18	8 14	9 26	6 95	1 41	9 86
8	Mysore	2 84	2 86	3 44	2 81	0 65	5 02
9	Orissa	2·02	2 36	2·56	2 15	0 66	4 00
10	Punjab	12 79	19 29	21·06	17·78	4 11	38 98
11	Rajasthan	0·90	0·42	3·61	5·35	1 50	13 64
12	Uttar Pradesh	33·79	39 60	47·84	36 96	5 29	51·78